अपराध | **बैंक डकैती सुलझाने नाकेबंदी के साथ सैकड़ों फुटेज खंगाले, संदेहियों को उठाया**

आठ जिलों में डकैतों की तलाश, दस स्पेशल टीमों ने झोंकी ताकत

जबलपुर। खितौला अंतर्गत ई साफ बैंक में पड़ी डकैती को सुलझाने के लिए दस स्पेशल टीमों ने ताकत झोंक दी हैं। इसके साथ ही जबलपुर समेत सरहदी जिले कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, मण्डला, उमरिया, डिण्डोरी से भी मद्द मांगी गई है। आठ जिलों में डकैतों की तलाश तेज कर दी गई हैं। नाकेबंदी के साथ सैकड़ों फुटेज खंगाले गए हैं। इसके साथ ही संदेहियों को भी उठाया गया हैं जिनसे पुलिस सघन पूछताछ कर रही हैं। हालांकि अब तक पुलिस अहम सुराग नहीं जुटा पाई जिसके सहारे आरोपियों तक पहुंचा जा सके लेकिन पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अहम क्लू मिले हैं जिस पर जांच पड़ताल चल रही हैं और जल्द ही पुलिस के हाथ डकैतों तक पहुंचेंगे।

विदित हो कि ई साफ बैंक खितौला में पांच डकैत घुस गए थे और 14873.50 ग्राम सोना और नगदी 508675 रुपये लूटकर फरार हो गए थे। बैंक असिस्टेंट मैनेजर सुबह करीब 8.45 बजे ई साफ बैंक खितौला पहुंचा था। बैंक रोजाना कि तरह सुजीत

रजक के द्वारा चाबी देने पर संतराम बर्मन (सफाई कर्मी) ने बैंक खोला था बैंक में सफाई का काम कर रहा था उसके आने के कुछ देर बाद बबीता लोधी (सेल्स) आई तभी लगभग 8 बजकर 50 मिनट पर तीन लोग मास्क और हेल्मेट लगाकर बैंक के अन्दर आये और उनके पीछे से दो और लोग मास्क लगाकर अन्दर आये थे जिन्होंने बंदूक दिखाकर पहले केश वोल्ट खुलवाये थे इसके बाद गोल्ट रूम खुलवाया था। नगदी, गोल्ड लूटने के बाद कर्मचारियों को कमरे में बंद कर फरार हो गए थे।

बैंक स्टॉफ के बयान दर्ज

बैंक के असिस्टेंट मैनेजर अंकित सोनी 34 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 2 ज्वालामुखी सिहोरा, एरिया मैनेजर राघवेन्द्र पटेल, कैशियर रीना पटेल, समेत सेल्स बबीता लोधी, कर्मचारी सुजीत रजक, सफाई कर्मी संतराम बर्मन समेत अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए।

बाहरी के साथ लोकल गिरोह पर जांच

डकैती के पुराने रिकॉर्ड देखे जाएं तो पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि जिले में यूपी-बिहार से लेकर बांग्लादेश से भी डकैत आते रहे हैं। इसके अलावा शहर में पारधी, कंजड़, स्थानीय, डेरा वाले समेत अनेक गिरोह सक्रिय हैं जो रैकी के बाद वारदातों को अंजाम देते हैं और शहर छोडकर भाग जाते हैं। पुलिस बाहरी के साथ लोकल गिरोह पर जांच कर रही है।

नेफिस ने भी ढूंढ रहे कुंडली

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संचालित साफ्टेवर नेशनल ऑटोमेटिड फिंगर प्रिंट आईडेंटीफिकेशन सिस्टम (नेफिस) फिंगर प्रिंट आईडेंटीफिकेशन से भी पुलिस की टीमें डकैतों की कुंडली ढूंढ रही है लेकिन अब तक कोई अहम सुराग नहीं मिला हैं।

स्कैच बनवाये, हर लोकेशन, सक्रिय मोबाइलों की जांच

वारदात के समय घटना स्थल के आसपास सक्रिय मोबाइलों की जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने डकैती सुलझाने के लिए कई अहम बिन्दु तैयार किए हैं जिस पर जांच पड़ताल हो रही है। हर लोकेशन पर पुलिस की नजर हैं इसके अलावा डकैतों के स्कैच भी बनवाये गए है।

आईजी खितौला पहुंचे, दिया स्पेशल टास्क छापेमारी तेज

मंगलवार को जबलपुर जोन आईजी प्रमोद वर्मा पुलिस अधिकारियों के साथ खितौला पहुंचे। पुलिस टीमों को स्पेशल टास्क दिया है। जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है साथ ही छापेमारी भी तेज कर दी गई है। जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्लू भी मिल रहे है इसके आधार पर जांच तेज कर दी गई है कई बिन्दुओं पर काम चल रहा है। आईजी के साथ पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय, एएसपी सूर्यकांत शर्मा, एसडीओपी सिहोरा आदित्य सिंघारिया मौजूद थे।

डकैतों के लिए शहर सबसे सॉफ्ट टारगेट रहा

बीते सालों डकैतों ने कई वारदातें की आधा दर्जन से अधिक डकैतियां अनसुलझी है। डकैतों के लिए शहर सबसे सॉफ्ट टारगेट रहा है दूसरे राज्यों के डकैत रैकी करते है इसके बाद पुलिस को खुली चुनौती देकर डकैती डाल कर शहर छोड़कर फरार भी हो जाते है। डकैतों के निशाना पर सबसे अधिक रेल की पटरियों के पास रहने वाले बने है। सूनसान कॉलोनियां भी डकैतों के निशाने पर रही है। इसक पीछे का मुख्य कारण पुलिस गश्त कमजोर, चेकिंग कार्रवाई में खानापूर्ति और मुखबिर तंत्र का कमजोर होना हैं।

क्लू मिला, टीमें जांच में जुटी

जबलपुर जोन आईजी प्रमोद वर्मा ने बताया कि स्पेशल टीम के साथ क्राइम ब्रांच, थाना पुलिस, सायबर पुलिस समेत दस टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। क्लू मिला हैं। सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले जा रहे हैं, संदेहियों से पूछताछ चल रही हैं, पुलिस टीमें जल्द ही डकैत पकड़ने पड़ताल कर रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं नहीं जायेगा। जल्द ही डकैती की गुत्थी सुलझाने पूरे प्रयास किए जा रहे है।

विक्टोरिया के डॉक्टर निजी अस्पताल में दे रहे सेवाएं

जांच के लिए दो सदस्यीय टीम की गई गठित

नवभारत,जबलपुर। जिला अस्पताल विक्टोरिया में अफसरशाही और मनमानी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें हड्डी रोग विभाग में पदस्थ डॉ. राहुल शुक्ला द्वारा शासकीय ड्यूटी के समय स्मार्ट सिटी निजी अस्पताल में सेवाएं दी जाने लगीं। इतना ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े पोस्टरों में डॉक्टर साहब एलआईसी ऑफिस के सामने स्थित स्मार्ट सिटी अस्पताल में अपनी विशेषता का गुणगान गाते भी नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि शासकीय अस्पताल के डॉक्टर निजी अस्पताल में इतनरी रूचि क्यों ले रहे हैं जबकि वे पगार शासन की ले रहे हैं। हैरानी होती है इस सिस्टम को देखकर.. बहरहाल मामला सीएमएचओ डॉ. संजय मिश्रा के पास पहुंचा तो उन्होनें आनन-फानन में दो डॉक्टर्स की जांच टीम गठित कर दी जिसमें डॉ. अमजद व डॉ. जया श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं। अब ये टीम मामले की जांच करके सीएमएचओ को रिपोर्ट सौंपेगी।

सीएमएचओ को दी झूठी सफाई

खबर है कि जब सीएमएचओ ने डॉ. राहुल शुक्ला को तलब किया तो वो भी सकते में आ गए और उन्होनें अपनी सफाई देते हुए सीएमएचओ साहब से कह दिया कि वे निजी अस्पताल में नहीं जाते हैं, उनका पोस्टर अस्पताल मालिक ने कैसे बना दिया ये उन्हें भी नहीं पता। इस पूरे जवाब से साफ था कि डॉ. राहुल शुक्ला पूरी तरह से सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं। हकीकत में नवभारत के पास स्मार्ट सिटी अस्पताल के जो पोस्टर आए उसमें डॉ. राहुल शुक्ला की फोटो के साथ उनका मोबाइल नंबर, अस्थि रोग से जुड़ी समस्याओं का निदान जैसी चीजें स्पष्ट रूप से लिखीं हुईं थीं।

इनका कहना है

विक्टोरिया अस्पताल के डॉ. राहुल शुक्ला के खिलाफ शिकायत मिली है जिसकी जांच दो सदस्यीय टीम कर रही है। जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

डॉ. संजय मिश्रा
सीएमएचओ जबलपुर

रेल्वे कर्मचारी के गले में झपट्टा मार दो तोला सोने की चेन लूटीं

जीआरपी थाने के सामने हुई लूट

जबलपुर। सिविल लाईन थाना अंतर्गत जीआरपी थाने के सामने लुटेरों ने रेल्वे हेड क्वार्टर कार्यालय की महिला अधीक्षक के गले में झपट्टा मार दो तोला सोने की चेन लूट ली।

पुलिस ने बताया कि श्रीमति शशि प्रभा चोबे 50 वर्ष निवासी एमआईजी 10 श्री परिसर थाना संजीवनी नगर ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह जीएम ऑफिस रेल्वे हेड क्वार्टर में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत् है, अपनी साथी मिनी तिवारी के साथ रिलायंस फ्रेस से लौटकर अपने ऑफिस कि तरफ जा रही थी जैसे ही जीआरपी थाने के सामने पहुंचे तभी सामने से एक स्कूटी में तीन अज्ञात लडके जिनकी उम्र लगभग 18 से 25 वर्ष रही होगी उसके बाजू में आकर गाडी रोकी और स्कूटी में पीछे बैठे लडके ने उसके गले कि चैन पकडी और उसे धक्का दे दिया जिससे उसके गले मे पहने सोने की चैन टूटकर उसके हाथ मे आ गयी वह चिल्लाई तो तीनो लडके उसकी चैन वजन लगभग 1.5 से 2.00 तोले की लूटकर लहराते हुए रिलायंस फ्रैस कि तरफ भाग गये।

हाका गैंग पर हमला पशु वाहन में तोड़फोड़

जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत गुलौआ चौक में मोटर साइकल सवार बदमाशों ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए हाका गैंग पर हमला कर पशु वाहन में तोड़फोड़ कर दी इसके बाद दो मवेशियों को अमले से छुड़ाकर धमकाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ऋतु रंजन यादव 47 वर्ष निवासी कांजी हाउस चेरीताल नगर निगम क्वाटर कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वहं नगर निगम जबलपुर मे शासकीय कर्मचारी है उसकी डयूटी सहायक अधीक्षक नगर निगम के द्वारा हॉकर कार्य में लगाई हैं। वाहन में तोड़फोड़ की

खौफनाक कत्ल : कलयुगी पुत्रों ने पिता के हाथ-पैर बांधकर नहर में जिंदा फेंका

दस किमी दूर मिली लाश, हत्या का प्रकरण दर्ज, दोनों गिरफ्तार

जबलपुर। मझगवां थाना अंतर्गत अगरिया में कलयुगी पुत्रों ने पिता के हाथ पैर बांधकर जिंदा बरगी नहर में फेंक दिया। मंगलवार को लाश दस किमी दूर नहर में मिली। जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर दोनों पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई कि पिता द्वारा शराब के नशे में धुत होकर रोजाना विवाद किए जाने के चलते बेटों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया हैं। मझगवां थाना प्रभारी हरदयाल सिंह के मुताबिक शंकर लाल कुम्हार 45 वर्ष निवासी ग्राम अगरिया ने बताया कि उसके मकान के कुछ दूरी पर चाचा गिरानी कुम्हार का मकान है, चाचा के लडके अजय व संतोष अलग-अलग अपने परिवार सहित रहते है, चाचा शराब पीते थे दोनों लडकों के परिवार को गालीगलौज कर परेशान करते थे। दस अगस्त को चाचा शराब पिये हुये थे रात 10 बजे चाचा के गिरानी के घर में झगडे की आवाज सुनाई देने पर जाकर देखा चाचा के दोनों लडके अजय एवं संतोष चाचा के दोनों हाथ पीछे करके रस्सी से बांधकर पकडकर नहर

सिद्धबाबा तरफलेकर जा रहे थे। उसने पूछा तो बताये कि सीख लगने के लिये सिद्धबाबा तरफ छोडने जा रहे है। कुछ देर बाद अजय और संतोष घर आये तो पूछा कि चाचा को कहॉ छोड आये तो बोले कि सिद्ध बाबा तरफछोड आये है। उसका मन नहीं माना तो वह अपने लडके को साथ लेकर चाचा की तलाश करने निकला, तलाश करने पर चाचा नहीं दिखें।

थाने में रिपोर्ट करने बोला तो उगला राज

शंकर ने बताया कि मंगलवार सुबह सुबह लगभग 6 बजे चाचा के दोनों लडकों से डांट कर पूछा तो कुछ नहीं बताये, थाने में रिपोर्ट करने की बात कहीं तो बताये कि रात में सिद्धबाबा के पास न छोडकर कोडा मकुर बरगी नहर के पास ले जाकर पिता के दोनों पैर रस्सी और गमछा से बांधकर नहर के पानी में फेंक दिये है।

हाथ रस्सी, पैर गमछे से बंधे मिले

शंकर परिजनों के साथ कोडा मकुर बरगी नहर के पास पहुंचकर नहर के किनारे किनारे देखते रहे। बुडरी नहर की पुलिया के आधा किमी आगे पानी में गिरानी कुमार चक्रवर्ती स्व. पिता सोनेलाल 55 वर्षीय निवासी अगरिया का शव मिला। जिनके दोनों हाथ रस्सी से पीछे दोनों पैर कैचीनुमा रस्सी व गमछे से बंधे थे।

पिता रोज करते थे झगड़ा

पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी बेटे अजय कुम्हार 32 वर्ष एवं संतोष कुम्हार 28 वर्ष को गिरफ्तार किया जिन्होंने पूछताछ में बताया कि पिता रोज शराब के नशे में धुत होकर परिवार से झगड़ा करते थे। घरेलू कलह के चलते उन्होंने योजना बनाकर पिता की हत्या कर दी।

वाहनों में ओवरलोडिंग सवारी बैठाने पर गिरेगी गाज

परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित करने आरटीओ की सख्ती

जबलपुर। अक्सर देखा जाता है कि मजदूरों और अन्य कार्य के माल वाहनों पर सवारियां ढोई जाती हैं। जिससे कई बार बड़े हादसे और दुर्घटनाएं भी हो जाती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र रघुवंशी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने के लिए आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारियों का परिवहन पूरी तरह अवैध है और इस नियम का

उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ तुरंत चालानी कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। आरटीओ रघुवंशी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी वाहन संचालक अपने वाहनों की यांत्रिक और भौतिक स्थिति दुरुस्त रखें। ब्रेक, हेडलाइट, टायर, इंडिकेटर और अन्य जरूरी उपकरण हमेशा सही स्थिति में रहे। चाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए, अन्यथा चेकिंग में दोषी पाए जाने पर लाइसेस निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकती है।

मजदूर अक्सर मालवाहक वाहनों में आते

आरटीओ ने बताया कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में धान रोपाई का काम जोरों पर है। इस दौरान किसान और मजदूर अक्सर मालवाहक वाहनों में सवार होकर खेतों तक पहुंचते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि मालवाहक वाहन केवल माल ढोने के लिए स्वीकृत हैं, सवारियां ढोना न केवल कानूनन गलत है बल्कि लोगों की जान को भी खतरे में डालता है।

अधिक सवारी वाले वाहनों में यात्रा न करें

परिवहन विभाग की टीम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गश्त व चेकिंग अभियान चलाएगी। यदि किसी वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां पाई गई या वाहन की तकनीकी स्थिति मानकों के अनुरूप नहीं मिली, तो मौके पर जुर्माना वसूलने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। आरटीओ ने आम जनता से अपील की है कि वे क्षमता से अधिक सवारी वाले वाहनों में यात्रा न करें और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपने व दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखें।

खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का किया गया निरीक्षण

जबलपुर। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस उत्सव-2025 अभियान में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान तहत मंडल रेल प्रबंधक जबलपुर महोदय एवं मुख्य चिकित्सा निदेशक प.म.रे. के निर्देशन एवं डॉ. बी.सी.एस. राव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जबलपुर के मार्गदर्शन मे मंगलवार को मंडल के सभी मेजर स्टेशनों एवं पैंट्रीकार का निरीक्षण किया गया एवं एफएसएसई के तहत जांच हेतु खाद्य नमूने एकत्र किये गए। इसी क्रम में डॉ. संदीप कुमार चौहान, मंडल चिकित्सा अधिकारी, मनोज कुमार गुप्ता, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के

नेतृत्व में हेमंत कुमार यादव फूड सेफ्टी आफिसर, आर. पी. गुप्ता मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, राजेश ठाकरे, मोहित मिश्रा, नितिन कुमार अदिवाल द्वारा जबलपुर स्टेशनों, रेल कोच रेस्टोरेंट, पैंट्री और फूड प्लाज़ा, केंद्रीय चिकित्सालय की तृप्ति स्टाफ कैंटीन से एफएसएसई एवं गुणवत्ता नियंत्रण के तहत खाद्य पदार्थ का नमूना एकत्र किया गया।

संपत्ति नामांतरण के नाम लाखों ऐंठ, जाली दस्तावेज थमाये

जबलपुर। सम्पत्ति नामांतरण के नाम पर लाखों रूपए ऐंठ कर जाली दस्तावेज महिला को जालसाज ने थमा दिए। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता श्रीमती मीराबाई ठाकुर 73 वर्ष पति स्व. हेमंत सिंह ठाकुर निवासी रिछाई ने बताया कि वह लिज्जत पापड़ गृह उद्योग में काम करती है। सम्पत्ति नामांतरण के नाम पर गनपत मिश्रा ने धोखाधड़ी की है। गनपत मिश्रा ने सम्पत्ति नामांतरण के नाम पर 9,25,000 चैकों के माध्यम से और नगद 1,50,000 लिया और सम्पत्ति के दस्तावेज बनवाकर दिया, लेकिन जब वह सम्पत्ति के दस्तावेज चैक कराये तो वे दस्तावेज कूटरचित थे। गनपत मिश्रा ने फर्जी दस्तावेज बनाकर दिया था। मामले की शिकायत गढ़ा थाने में की। पुलिस को दस्तावेज भी उलब्ध कराये, एसआई ने बयान भी लिए लेकिन मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई।

साहब...युवक बेटी का अपहरण कर ले गया, मुझे थाने से भगाया

साहब.....प्रयागराज इलाजाद में रहने वाला जसंवत एक युवक मेरी 16 साल की बेटी का अपहरण कर ले गया थाने शिकायत करने पहुंचे तो वहां से भगा दिया गया सुनवाई नहीं हुई।

पीड़ित ने शिकायत में बताया कि सोमवार को युवक पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ इलाहाबाद ले गया है। मामले की शिकायत ग्वारीघाट में की लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई उसे थाने से भगा दिया गया। पीड़ित ने युवक पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पर पूर्व में पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

डीजल डालकर पति ने घर में लगाई आग, गृहस्थी खाक

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत इमलिया पिपरिया में पति ने घर में आग लगा दी। आग ने विकराल रूप धारण और गृहस्थी जलकर खाक हो गई। पुलिस ने मंगलवार को रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक विध्या रजक निवासी इमलिया पिपरिया ने मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दो बेटियां, एक बेटा है दोनों बेटियों की शादी हो गयी है जो अपने अपने ससुराल में रहती है बेटा सबसे छोटा है जिसकी शादी नहीं हुयी है वह साथ रहता है करीब 10 वर्ष से पति से अलग मकान बना कर रह रही है। नौ अगस्त को मायके गई थी। 11 अगस्त को सुबह छोटी बहन के यहा ग्राम कुआ जिला कटनी गयी थी रात्रि करीबन 8:30 बजे पति ने घर का ताला तोड़कर डीजल डालकर घर में आग लगा दिये है। जब वह बेटे गुलशन के साथ घर पहुंची तो घर में धुंआ-धुंआ था। आग बुझ चुकी थी लेकिन गृहस्थी का समान जल चुका था।

रद्दी चौकी से हाईकोर्ट होते हुए रेलवे स्टेशन तक बने फ्लाई ओवर

जबलपुर। हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन जबलपुर ने मंगलवार को कलेक्टर दीपक सक्सेना को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें जबलपुर में रद्दी चौकी से हाईकोर्ट होते हुए रेलवे स्टेशन तक फ्लाई ओवर निर्माण की मांग की गई।ज्ञापन में जबलपुर के विकास में प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाई ओवर की सौगात को लेकर शहर के 15000 अधिवक्ताओं की ओर से साधुवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि जबलपुर के रद्दी चौकी से हाईकोर्ट, जिला न्यायालय जबलपुर, रेल्वे स्टेशन तक हर समय रास्ता जाम रहने से लाखों लोग रोजाना परेशान होते हैं। जिस पर जबलपुर शहर के विकास के लिए इस आवश्यक फ्लाई ओवर का निर्माण कराने की कृपा करें, इससे जबलपुर के विकास में गति मिलेगी और जबलपुर का शहरी स्वरूप भी विकसित होगा। ज्ञापन सौंपने वालों में हाईकोर्ट बार अध्यक्ष धन्य कुमार जैन, सचिव परितोष त्रिवेदी, जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा व सचिव ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी सहित अन्य अधिवक्तागण शामिल रहे।

आवश्यकता है

ऑफिस में कार्य हेतु लड़कों की आवश्यकता है:-

02 पद- (ऑफिस बॉय)

ऑफिस कार्य समय

1.सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक

2.शाम 4 से रात 10 बजे तक

संपर्क करें- नवभारत प्रेस, चौथापुल, शाहिल होण्डा शोरूम के पास, जबलपुर (म.प्र.)

मो.8305852507

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वालेस टावर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे क्रॉसिंग, विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. दूरभाष: 022- 6849 2450, फैक्स: 022- 6741 2313
सीआईएन: U67190MH2007PTC168303 ईमेल: info@phoenixarc.co.in, वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - समनुदेशक के रूप में जाना जाता था) द्वारा ऋण के समनुदेशन के अनुसरण में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "जैसी है जहाँ है, जैसी है और बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है। 2002) को वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खरीदा जा सकता है।

ई-नीलामी की तिथि और समय: 22-09-2025 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

सं. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ ऋण खाता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1	लैन: LXJAB00116-170022511 शाखा: जबलपुर उधारकर्ता: राजेंद्र कुमार काशीराम श्रीवास्तव सह-उधारकर्ता: रजनी राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव	06-07-2018 रु. 11,07,998/- (रु. ग्यारह लाख सात हजार नौ सौ अट्ठानवे मात्र)	ख नं 176, करेली, नरसिंहपुर नं 17, पीएच नं 13/35, आरएनएम करेली, मौजा इमलिया, महाराणा प्रताप स्कूल नरसिम्हपुर 487221 मध्य प्रदेशभारत	आरक्षित मूल्य: रु.10,00,000/- (केवल दस लाख) अग्रिम जमा: रु.1,00,000/- (केवल एक लाख) अग्रिम जमा की अंतिम तिथि: 21-09-2025
2	लैन: LXJAB00316-170023324 शाखा: जबलपुर उधारकर्ता: पुरूषोत्तम राजकुमार पटेल सह-उधारकर्ता: सरना पुरूषोत्तम लोधी	20-11-2018 रु. 9,55,586/- (रु. नौ लाख पचपन हजार पाँच सौ छयासी मात्र)	प्लॉट नंबर 87 एनबी नंबर 162 ख नंबर 662/21 आरएनएम पी एच नंबर 7 मौजा पुरवा तह और जिला जबलपुर न्यू शास्त्री नगर कॉलोनी त्रिपुरी वार्ड एनआर जैन मंदिर 482003 जबलपुर मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्य: रु. 5,00,000/- (केवल पाँच लाख) अग्रिम जमा: रु. 50,000/- (केवल पचास हजार) अग्रिम जमा की अंतिम तिथि: 21-09-2025

ई-नीलामी के नियम और शर्तें: 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली फॉर्म के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड वेब पोर्टल: https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और तरुण रघुवंशी 9329414448 और विजय सिंह 9372505110, शैलेश अयंगर 9833801159 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण उपर्युक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क: +91 83709 69696, ई-मेल आईडी: contact@auctionbazaar.com पर संपर्क कर सकते हैं। 2. सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ उपरोक्त ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले जमा करना होगा। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करनी होगी। 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी स्थगित कर सकता है। 5. सफल क्रेता/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करवाने के लिए देय सभी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, क्रय मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति के स्वामित्व और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिनमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तौसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऐसा वचन देने में विफल रहने पर उसे स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 13.08.2025

अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रजी संस्करण मान्य होगा

हस्ताक्षरकर्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड